

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)


क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/रा.का. 00001/2018

जयपुर, दिनांक: 27 FEB 2019

—आदेश—


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.02.2019 द्वारा श्री रामहरि मीणा, अधिशाषी अभियन्ता (सहायक अभियन्ता से पदोन्नति पश्चात्) का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, बून्दी के पद पर किया गया था। चूंकि उक्त श्री मीणा का स्थानान्तरण/पदस्थापन संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ 1(2)सानि/2019/आरके दिनांक 14.02.2019 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड गंगापुरसिटी, जिला-सवाईमाधोपुर में किया जा चुका है।

अतः श्री मीणा के पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14.02.2019 तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।


(राजेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, बून्दी।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी।
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
10. श्री रामहरि मीणा, अधि.अभि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड गंगापुरसिटी, जिला-सवाईमाधोपुर।
11. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)